

गोपालपुरी मुख्यालय वनाम तटसीलदार गांव

किरम मुकदमा नं. 09 R 9 व धारा 151 जा. पी. नं. 52 सन 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22-9-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 8-10-20 को पेश हो।</p> <p>उपरखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
8-10-20	<p><b>पत्रावली पेश हुई, न्यायिक कार्य स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 16-10-20 को पेश हो।</b></p>	
16-10-20	<p><b>पत्रावली पेश हुई, न्यायिक कार्य स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 23-10-20 को पेश हो।</b></p>	
23-10-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, परोक्ष सरकार उपस्थित, वकील प्रार्थी ने एक प्रा.पत्र अन्तर्गत 09 R 9 व धारा 151 जा. पी. का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी ने बहस करना चाही। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र में संशोधन तथा फस्तावेजों के आधार पर प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रा.पत्र सं. 29/20 को पुनः नम्बर पर लिखे जाने की इस्तुहा की। जबकि परोक्ष सरकार ने प्रा.पत्र 09 R 9 व धारा 151 जा. पी. को स्वीकार किया जाये की इस्तुहा की।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उक्त पत्रों की बहस पर मनन किया (वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-9-20 को वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी) अदम पंजी में</p>	<p>23/10/20</p>

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मये इनिशियल्स जज

शरीफ किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र  
21.9.20 को प्रस्तुत किया जो अदर अवधि में  
प्रस्तुत हो अदर अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
होने से प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लेना  
आवश्यक है।

आदेश :-

अतः ब्यायहित में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र 09 R 09 व द्वारा 151 जा. प्री० को  
स्वीकार किया जाकर प्रकरण से, 29/20 रा०  
प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिये जाने का  
आदेश दिया जाता है प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्ट्र  
किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर मूल  
प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा